"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 403] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई 2014— श्रावण 2, शक 1936

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई, 2014 (श्रावण 2, शक 1936)

क्रमांक-8238/वि. स./विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014) जो गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई, 2014 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 15 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 165 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 165 में,-

(एक) उप-धारा (6) के खण्ड (दो) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) उप-धारा (6) के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परंतु इस उप-धारा के प्रावधान, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) के अन्तर्गत अर्जित भूमि को लागू नहीं होंगे."

धारा 234 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 234 में,-

(1) उप-धारा (3) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु इस धारा के प्रावधान, किसी राजस्व ग्राम को नगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने तथा विकास योजना हेतु अंगीकृत किये जाने की दशा में, लागू नहीं होंगे."

धारा 247 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 247 की उप-धारा (4) में, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 1) के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30)" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

अनुसूचित क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित करने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30), जो कि 1 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त है, की धारा 2 की उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 165, 234 एवं 247 के उपबंधों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है.

अत : यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 21 जुलाई, 2014

प्रेमप्रकाश पाण्डेय
राजस्व मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165, 234 एवं 247 के सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

(2) **धारा 165 अंतरण के अधिकार-उप-धारा (6)**

(दो) खंड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी से अभिन्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा.

---

(3) **धारा 234-निस्तार पत्रक का तैयार किया जाना-**

उप-धारा (3) इस प्रकार अंतिम किये गये निस्तार पत्रक की एक प्रति, ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी.

---

(4) **धारा 247-खनिजों के संबंध में सरकार का हक-**

उप-धारा (4) यदि, इसमें निर्दिष्ट किये गये अधिकार का, किसी भूमि पर प्रयोग करने में, ऐसी भूमि की सतह को दखल में लेने के कारण या उस पर होने वाली हलचल के कारण, किन्हीं व्यक्तियों के अधिकारों का अतिलंघन होता हो, राज्य सरकार, या उसका समनुदेशिती ऐसे अतिलंघन के लिये ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान करेगा और ऐसे प्रतिकर की रकम की संगणना उपखंड अधिकारी द्वारा, यदि उसका अधिनिर्णय स्वीकार न किया जाय, तो सिविल न्यायालय द्वारा यथाशक्य, भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का संख्यांक 1) उपबंधों के अनुसार की जायेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.